संख्या– 5588 / 1–10–2008–14(80) / 2008

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश।
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ: दिनांक 03 दिसम्बर, 2008

विषय: वर्ष 2008–09 में बाढ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से हेलीकाप्टर सेवा हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक: 26 नवम्बर, 2008 में लिए गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2008–09 में बाढ की गम्भीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुये प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हेलीकाप्टर सेवा हेतु **रू0 22,16,000/–(रूपये बाइस लाख सोलह हजार मात्र)** की धनराशि आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स विषयक शासनादेश संख्या जी0आई0–134/1–11–2007–46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में उल्लिखित निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

मद सं0	मद	सहायता के मानक दरें
14	Evacuation of people affected/likely to be affected	As assessed by the State Level Committee for assistance to be provided under CRF and as per the assessment of the Central Team for assistance to be provided under NCCF
17	Air dropping of essential supplies	As assessed by the State Level Committee for assistance to be provided under CRF and as per the assessment of the Central Team for

ALLT.FLOOD-08 1

		assistance to be provided under NCCF The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Air Force/other air craft providers for air dropping of essential supplies and rescue operations only.

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय--42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि वर्ष 2008 में उपरोक्तानुसार केवल **बाढ से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से** आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के अनुसार व्यय की जायेगी। नागरिक उड्डयन विभाग पूर्व में शासनादेश संख्या 4318/1–10–2008–14(80)/2008 दिनांक 16.09.2008 द्वारा आवंटित धनराशि रु0 50,00,000/– के साथ ही उक्त आवंटित धनराशि का व्यय भी आपदा राहत निधि के अर्ह मानक मद संख्या –14 व 17 के अन्तर्गत ही किया जाय।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन/कार्य हेतु नही किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को आवंटित नही हुई हो।

5. **आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा साथ ही आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना एवं इसका सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय।**

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें **दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 तक** शासन को समर्पित कर दिया जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या – ५५४४ (1)/1–10–2008–14(80)/08, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री/नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग –6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली संख्या–12(73)/08 में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।